

दण्डाधिकारी
न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, बुण्डू, राँची

U/S-145 Cr.P.C. वाद संख्या- M- 37 | 2013

बाजी देवी को
बाम
लौहरा सेठको

आदेश फलक

615113

आवेदिका बाजी देवी पति-
स्व० बाजीमाली देवी पत्नी -
बुराडीह, पो० - बुराडीह बाना -
बुण्डू, जिला - राँची (झारखण्ड)
कर्मिण पत्नी - शा० - पुराना झालदा
पो० - झालदा बाना - झालदा जिला -
पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) प्रतिपत्नी
लौहरा सेठ पो० स्व० लौली सेठ
हरी सेठ, गुरु सेठ, माली सेठ
बागेब सेठ, सीताराम सेठ सभी
का पो० ~~स्व०~~ लौहरा सेठ
उमेश सेठ, प्रकाश सेठ दोनों
का पो० हरी सेठ, समथ सेठ,
अजीरय सेठ, धन्नजय सेठ
तीनों पो० स्व० डीमा सेठ
हर धन राजक, कताराम राजक
दोनों पो० स्व० शिखी चौकी,
पुरना राजक पो० स्व० साहदेव
चौकी पत्नी :- शा० - बुराडीह,
पो० - बुराडीह बाना - बुण्डू,
जिला - राँची (झारखण्ड) के
द्वारा निम्नलिखित कर्मिण पत्नी अर्पण
रूप से कलना किया गया है।

आदेश फलक

भूमि किराणी

मौजा	बाना/सं०	खतासं०	खतासं०	रकबा
बुराडीह	बुण्डू	8	524	1.19 ए० महय 29.5 डी०
		39	505	1.38 ए० महय 34.5 डी०
		144	486	0.36 ए० महय 0.4 डी०
			494	0.35 ए० महय 0.9 डी०
			495	1.67 ए० महय 0.42 डी०
			515	0.21 ए० महय 5 डी०
			522	0.83 ए० महय 0.21 डी०
			505	0.53 ए०
			541	महय 0.13 डी०

कुल 1.58 ए०

उन्होंने अनुदीय किया है कि उपरोक्त भूमि पर प्यार 145 को फलक के तहत कार्यवाही प्रांग किया जाय।

सुना। उभय पक्ष को बोरित निर्मित।

आमिकल दिनांक - 14/5/13 को उपस्थापित की।

अख्तियार
अनुपम
अनुपम

अनुपम
बुण्डू (रफा)

13/5/13

16.07.2022

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष अधिवक्ता
टाजरी। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। प्रथम पक्ष के अधिवक्ता
उपस्थित। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के बताया
जाया कि प्रथम पक्ष आया छोड़ दिया है, न ही अधि-
वक्ता के सर्पट में है। प्रतीत होता है कि वाद में
प्रथम पक्ष लगातार अनुपस्थित रहे हैं। न ही रुचि लिखा
जा रहा है। वाद में शांति भंग होने की संभावना उभय
पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वाद
का जारी रखना प्राथमिक प्रतीत नहीं होता है।
अतः वाद की कार्यवाही को बन्द ही जाती है।

16/07/22
अनुमोल कणा
शुण्ड (रॉन्गी)